Year-No 1 August 2011 ISSN 2249-3859

जम्बूद्वीप शोध पत्रिका

सामाजिक विज्ञान की त्रैमासिक शोध पत्रिका

प्रबन्ध सम्पादक
डा0 शम्भूराम
एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
भूगोल विभाग
आर0एच0एस0पी0जी0कालेज
सिंगरामऊ, जौनपुर

वरिष्ठ सम्पादक
डा0 देवी प्रसाद उपाध्याय
एसो. प्रोफेसर
भूगोल विभाग
टी0डी0पी0जी0 कालेज
जौनपुर

सम्पादक
डा0 संजय कुमार सिंह
असि0 प्रोफेसर
भूगोल विभाग
आर0एच0एस0पी0जी0कालेज
सिंगरामऊ, जौनपुर

जम्बूद्वीप सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान जौनपुर (उ0प्र0)
(Regd. Under Society Registration Act 21,1860)

Year-N0 1 August 2011 ISSN 2249-3859

जम्बूद्वीप शोध पत्रिका

सामाजिक विज्ञान की त्रैमासिक शोध पत्रिका

प्रबन्ध सम्पादक
डा0 शम्भूराम
एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
भूगोल विभाग
आर0एच0एस0पी0जी0कालेज
सिंगरामऊ, जौनपुर

वरिष्ठ सम्पादक
डा0 देवी प्रसाद उपाध्याय
एसो. प्रोफेसर
भूगोल विभाग
टी0डी0पी0जी0 कालेज
जौनपुर

सम्पादक
डा0 संजय कुमार सिंह
असि0 प्रोफेसर
भूगोल विभाग
आर0एच0एस0पी0जी0कालेज
सिंगरामऊ, जौनपुर

जम्बूद्वीप सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान जौनपुर (उ0प्र0)
(Regd. Under Society Registration Act 21,1860)

Jambu Dwip Research Journal.ISSN.2249-3859.vol. I. Aug.2011

अन्तहीन भ्रष्टाचार

डॉ. राजेश कुमार सिंह
डॉ० गीता यादव

जे. नाय ने भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि 'भ्रष्टाचार निजी लाभों के लिए सार्वजनिक पदों का दुरूपयोग है।' वास्तव में भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी तत्व है और अनादि काल से प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। कौटिल्य ने भी 'अर्थशास्त्र' में 50 प्रकार के गबनों और भ्रष्ट उपायों से धन संग्रह का उल्लेख किया है। फिर भी भारत में भ्रष्टाचार इतना सर्वव्यापी और संस्थागत् कभी नही रहा।

प्राचीन काल में व्यक्तियों के बीच प्राथमिक सम्बन्धों की प्रधानता थी प्राथमिक नियन्त्रण इन समुदायों की विशेषता थी तथा समाज के आदर्श नियमों के उल्लघन पर व्यक्ति को दण्ड के लिए किसी प्रकार के औपचारिक न्याय व्यवस्था का कोई महत्व नही था। धर्म और नैतिकता स्वयं इतनी बड़ी शक्तियाँ थी कि बाहरी दबाव के बिना भी व्यक्ति ईमानदारी, सच्ची मित्रता तथा कर्तव्यपूर्ति को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में मान्यता प्रदान करता था। इसके पश्चात् जैसे–जैसे समुदायो का आकार बढ़ता गया, एक नई राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इन्ही राजनीतिक तन्त्रों तथा न्याय व्यवस्था के लिए बड़े–बड़े अधिकारियो तथा सामान्य कर्मचारियों को नियुक्त कर जीवन को नियमित करने के लिए अधिकार दिए जाने लगे। विडम्बना यह हुयी कि पहले अधिकार सम्पन्न व्यक्ति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभों के लिए करना प्रारम्भ किया और बाद में समाज में दूसरों ने इसका अनुकरण करना आरम्भ किया। फलस्वरूप कानून टूटने लगे, मर्यादायें नष्ट होने लगी, नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नही रह गया तथा प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट साधनों के द्वारा अधिकाधिक धन संचय में लग गया। संक्षेप में यही सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार है जो आधुनिक समाज की सबसे विकट समस्या है।

अपनी सटीक भविष्यवादियों के लिए दुनियां भर में मशहूर फ्रांसीसी भविष्यवेत्ता नास्त्रेदमस के कथनों के आधार पर कतिपय लोग इस बात की आशंका व्यक्त करते रहे है कि वर्ष 2011–12 में दुनियां का अन्त होने वाला है परन्तु लगता है कि नास्त्रेदमस ने विश्व विनाश की नही बल्कि वैश्विक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही है। जो कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से 2011 के प्रारम्भ से ही प्रत्यक्ष होने लगा है। ट्यूनीशिया से प्रारम्भ हुयी जनक्रान्ति की चिंगारी मिश्र को समेटते हुए लीबिया और अन्य अरब देशों के साथ चीन जैसे विश्व के अन्य अधिनायकवादी देशों तक पहुँच चुकी है। अरब जगत् में जन विद्रोह की लहर के साथ–साथ विश्व भर में व्यवस्था परिवर्तन की आवाजें उठने लगी है। कुछ ऐसा ही इधर भारत में दिखाई दिया जहाँ भ्रष्टाचार की सर्वव्याप्ति को लेकर सहनशील बनी केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नख–दंत विहीन लोकपाल विधेयक के विरूद्ध कुछ प्रमुख समाजसेवी जन लोकपाल विधेयक का मसौदा लेकर सामने आये और इसे लेकर अन्ना हजारे के गाँधीवादी आमरण अनशन के 97 घण्टों ने पूरे देश को आन्दोलित कर दिया। जिसमें अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा। वास्तव में इन 97 घण्टों में न केवल अन्ना हजारे को जननायक बनाने के साथ देश में गाँधीवाद के नये दौर का आगाज किया बल्कि अन्ना को मिले देश भर से अभूतपूर्व लोकसमर्थन ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भ्रष्ट तंत्र को भी हिला कर रख दिया। निश्चय ही यह एक नये दौर की शुरूआत है एक ऐसा दौर जिसमें लोकतांत्रिक सम्भावनाओं के अनन्त द्वार खुलते नजर आ रहे है।

भ्रष्टाचार के अनादिकालिक स्वरूप के बावजूद यह भारत मे इतना सर्वव्यापी एवं संस्थागत कभी नहीं था, जितना कि हाल के दशकों में हो गया है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में भ्रष्टाचार के संस्थागत स्वरूप का प्रारम्भ हुआ। राबर्ट क्लाइव व वारेन हेस्टिंग्स तो इस कदर भ्रष्ट पाये गये कि इंग्लैण्ड लौटने के बाद उन पर मुकदमें भी चलाये गये। आदर्शवादी कांग्रेस द्वारा 1937 में 06 राज्यों मे गठित मन्त्रिमण्डल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस पर आहत होकर 1939 में महात्मा गाँधी को यह कहना पड़ा कि मैं कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार को सहन करने के बजाय पूरी कांग्रेस को एक सम्मानजनक समाधि प्रदान करना चाहूँगा। स्वतत्रता के बाद के लाइसेंस–परमिट राज से प्रारम्भ हुए भ्रष्टाचार के नवीन स्वरूपों ने इधर इतना व्यापक आकार धारण कर लिया कि हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इण्टरनेशनल की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 2010 में भारत को अफगानिस्तान, नाइजीरिया और इराक जैसे देशों के साथ सर्वाधिक भ्रष्ट देशों वाले सूची में रखा गया है। भारत का स्थान 87वाँ है अर्थात् 86 देशों में भारत से कम भ्रष्टाचार है। अब भारत में भ्रष्टाचार वस्तुतः संस्थागत स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जिसके पीछे राजनेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों का गठजोड़ है और साथ ही इसके छींटे उच्च सैन्य पदों न्यायपालिका और मीडिया पर भी पड़ने लगे हैं। 1948 में सैन्य जीपो की खरीद में रिश्वत मामले से प्रकट हुयी इन दुरभि संधियों का दुष्चक्र हाल ही में उद्घाटित 2–जी स्पेक्ट्रम आवंटन मे हुए घोटाले एवं उत्तरप्रदेश के खाद्यान्न घोटाले तक इस स्तर तक पहुँच गया है कि अब इसमें लूटी गयी सरकारी रकम का आकलन देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किया जाने लगा है।

प्रो० कालदार के अनुमान के अनुसार भारत में भष्टाचार के माध्यम से कमाया गया कालाधन 1953–54 में 600 करोड़ रुपया था। 1965–66 में वाच्यू समिति ने इसके 1000 करोड़ रुपये तक रहने का अनुमान लगाया, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी ने 1985 में भ्रष्टाचार से काले धन की राशि के 1 लाख करोड़ रुपये जो तत्कालिक राष्ट्रीय आय का लगभग 20 प्रतिशत था, तक पहुंचने का आंकलन किया था। वर्तमान में यद्यपि भ्रष्टाचार आयकर चोरी के माध्यम से जुटाये धन की सम्पूर्ण मात्रा कितनी है, इसके अधिकारिक आँकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, तथापि विदेशों में जमा भ्रष्टाचार से बटोरे गये धन सम्बन्धी कतिपय अनुमान जो कि 462 बिलियन डालर से लेकर 1.4 ट्रिलियन डालर तक है, इसकी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करता है। नवम्बर 2010 मे ग्लोबल फाइनेंशियल इण्टेग्रिटी की रिपोर्ट जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री देव कार द्वारा तैयार किया गया है, के अनुसार, कर चोरी, भ्रष्टाचार आदि के द्वारा अर्जित धन की भारत से दूसरे देशों में जाने वाली मात्रा 462 बिलियन डालर से अधिक रही है, जो 2008 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 36 प्रतिशत है।

स्पष्ट है कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या अति गम्भीर है, जनवरी 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्विस बैंकों के भारतीय खाताधारकों के नाम सरकार से बताने को कहा, तब सरकार ने राजनयिक कारणों का हवाला देकर नाम बताने मे असमर्थता जता दी और देश के सबसे बड़े कर चोरी के आरोपी हसन अली खान के मामले में ढिलाई पर तो सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से फटकार भी सुननी पड़ी। 2–जी स्पेक्ट्रम राष्ट्रमण्डल खेलों आदर्श हाउसिंग सोसायटी आदि मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई केन्द्र सरकार नींद से तब जागती दिखी, जब उसने मई, 2011 में 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र का अनुसमर्थन किये जाने की घोषणा की, यहां यह बात उल्लेखनीय है कि भारत ने इस संधि पत्र पर दिसम्बर, 2005 में से ही हस्ताक्षर किये थे, किन्तु इसका अनुसमर्थन अभी तक शेष था। साथ ही नवम्बर 2011 के अन्त में भ्रष्टाचार से जुटाये गये काले धन का आंकलन किये जाने

हेतु अध्ययन समूह की जानकारी जनता को दी गयी और देश से भ्रष्टाचार से काले धन के विदेशों के अवैध स्थानान्तरण और इसकी रिकवरी सम्बन्धी वैधानिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्षतर बोर्ड [redacted] का भी गठन कर लिया गया।

इधर हाल के भ्रष्टाचार के मामलों के खुलासों को देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि हालिया खुलासों ने राजनीतिज्ञो सरकारों प्रशासको एवं कारपोरेट घरानो के साथ–साथ उच्च सैन्य पदो एवं मीडिया जगत् को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रमण्डल खेलों में जहाँ सुरेश कलमाडी तिहाड़ की सलाखों के पीछे है, वही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी फंसती नजर आ रही हैं। आदर्श हाउसिंग सोसायटी मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा। डी०एम०के० कोटे के केन्द्रीय मंत्री ए० राजा और टी०आर० बालू को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुयरप्पा को भूमि आवटन मामले में और अन्य भ्रष्टाचार के मामले में पद छोड़ना पड़ा। नीरा राडिया के फोन टेपिंग काण्ड के सामने आने के बाद राजनीतिज्ञों और कारपोरेट घरानों की दुरभि सन्धियों में मीडिया जगत् के शामिल होने की आशंका भी सच साबित होती नजर आई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोमित्र सेन के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिनमें उन पर लगे आरोपों की पुष्टि की गयी संसद में नोट के बदले वोट काण्ड, पूर्व प्रधानमंत्री स्व० नरसिम्हा राव के समय में बहुमत साबित करने के लिए झामूमो सांसदों के खरीद–फरोख्त के सबूत, सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश सब्बरवाल व बालाकृष्णन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, आये दिन सांसदों विधायको और मन्त्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले इस बात का संकेत कर रहे हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी है और इसकी ऊँचाई आसमान को छू रही है। साफ है कि भ्रष्टाचार पर बहस करने वाले आम आदमी से लेकर सत्ता के गलियारो, सेना, मीडिया एवं न्यायपालिका तक हर जगह यह प्रसारित हो चुका है।

पहले छिट–पुट घटनाओं के रूप में सामने आने वाला भ्रष्टाचार इस कदर असीमित हो चुका है कि हर नये मामले के साथ इसका स्वरूप और अधिक विकराल होता जा रहा है। हर नये खुलासे में भ्रष्टाचार का भस्मासुर इतना विशाल हो जाता है कि पहले के घोटाले उसके समक्ष बौने प्रतीत होते हैं। इस प्रकार जिस भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बनना था, वह सत्ता पक्ष विपक्ष एवं नागरिक समाज की राजनीतिक बयानबाजी मे उलझ कर रह गया है। राजनीतिक दलों के व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप अब व्यक्तिगत होकर निचले स्तर पर आ गये हैं। इसके कारण भारत की संसदीय प्रणाली पर भी संदेह उठने लगा है। अलोकतान्त्रिक तरीके से पाकिस्तान ने लोकतंत्र गवाया था। भारत लोकतान्त्रिक उपायों से वैसे ही खतरे के कगार पर है। सभी परम्पराओं, विधाओं को हवा में उड़ाया जा रहा है। देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी एक–दूसरे के प्रति घोर वैरभाव से भरे हैं। वे एक–दूसरे को नीचा दिखाने के फेर में इस हद तक आगे बढ़ गये हैं कि यह भी भुला बैठे हैं कि उनके क्रियाकलाप राज्य शासन व्यवस्था को कितनी अधिक क्षति पहुचा रहे हैं, दोनों दल भ्रष्टाचार के राजनीतिकरण पर उतर आये हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे भारत को एक बनाना रिपब्लिक बनाने को संकल्पित है। भले ही आर्थिक लिहाज से नही अपितु सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से वे ऐसा करते हुए लगते हैं। विमत ससदीय लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, किन्तु एक चरण ऐसा भी आता है, जब प्रशासन के रथ को आगे बढ़ाने के लिए आम सहमति बनाना आवश्यक हो जाता है।

आज जरूरत इस बात की है कि भ्रष्टाचार पर कैसे प्रभावी नियन्त्रण लगाया जाये। पिछले चार दशक से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी विभिन्न सरकारों के द्वारा संसद में लोकपाल विधेयक को पारित कराने में असफल रहना भ्रष्टाचार मिटाने मे राजनीतिक सकल्प शक्ति की कमी को ही दर्शाता है। 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 और एक बार फिर अब 2011 में लोकपाल विधेयक को पारित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही देश के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा सरकारी लोकपाल विधेयक नखदत विहीन बताया जा रहा है और इस विधेयक को भी 43 वर्षों से देश के शीर्ष राजनीतिज्ञों द्वारा लटकाये रखना, यह स्पष्टत: प्रदर्शित करता है कि देश का शीर्ष राजनीतिक वर्ग अपने ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नही चाहता है। भले ही जनता का देश के कार्यपालिका व विधायिका से विश्वास ही क्यों न उठता जा रहा हो, परन्तु राजनीतिक दलो व सरकार को यह नही भूलना चाहिए कि भारत की आम जनता सब देख रही है, वह अब समझदार हो चुकी है और राजनीतिक ड्रामेबाजी और सियासी चालों का मतव्य बेहतर समझने लगी है, उसे अब अधिक समय तक कोरे आश्वासनों से बहलाया नहीं जा सकता। अन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त से चल रहे गाँधीवादी सत्याग्रह जिसे अन्ना 'दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं, निश्चय ही सरकार और सिविल सोसाइटी आमने–सामने दिख रहे हैं। दोनों पक्षो के बीच जिस प्रकार तकरार ठनी है, डर है कि वह ध्यान को मूल विषय से कहीं और न भटका दे। निश्चय ही यह आम जनमानस सहित समूचे देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

सन्दर्भ

पाण्डेय एण्ड पाण्डेय : भारत में सामाजिक समस्यायें, टाटा मैक्ग्राहिल्स नई दिल्ली।
समसामयिक घटना चक्र जनवरी 2011.
समसामयिक घटना चक्र मई 2011
समसामयिक घटना चक्र जून, 2011
इण्डिया टूडे 6 अप्रैल 2011
इण्डिया टूडे 27 अप्रैल 2011.
क्रानिकल अप्रैल 2004 पृ.–38–39.
शुक्रवार अप्रैल 2011.